(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3196–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–8–2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद, प्रकरण कमांक 15/2011–12

.....

परसराम वल्द नंदराम

निवासी ग्राम बगलोन तहसील बाबई

जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती जमना बेवा मूलचंद (मृत)

2–श्रीमती संतोष पत्नि नर्मदाप्रसाद पुत्री मूलचन्द

दोनों निवासी ग्राम पांडरी तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा मौजा बगलोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 233/2 रकबा 2.26 एकड़ के सीमांकन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10–11–2010 को आदेश पारित करते हुये सीमांकन कार्यवाही कर प्रकरण समाप्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश

के विरूद्ध अपर कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–12–11 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–8–14 को आदेश पारित करते हुये निगरानी अमान्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मौके पर कोई चांदे मुनारे तिमेडी मौजूद न होते हुये भी सीमांकन किया जाना बतलाया गया है जबकि सीमांकन किये जाने संबंधी कोई निशान मौजूद नहीं है इसलिये की गई सीमांकन की कार्यवाही अवैध व शून्य है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही आवेदक को सूचना दिये बिना उसके पीठ पीछे की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 15 जून के बाद सीमांकन कार्यवाही बंद हो जाती है लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन खेत पर फसल लगी होने के बाद भी सीमांकन कार्यवाही कैसे की गई जबकि फसल लगी हो तो सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदक को क्षति पहुॅचाने के उद्देश्य पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध रूप से मनमाने ढॅग से मात्र कागजी कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 178 का प्रकरण लंबित है और उसमें स्वत्व का प्रश्न सन्निहित है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 178 के प्रकरण के निराकरण तक सीमांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है । अंत में उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचार न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के सीमांकन प्रकरण में याचिकाकर्ता को विधिवत् सूचना एवं सुनवाई का अवसर देना पाया गया है । आवेदक स्वयं कोटवार है एवं सीमांकन के दौरान मौके से जानबूझकर चला गया एवं मौके पर उसके पत्नि व बच्चे उपस्थित होने के उपरांत सीमांकन भी उनके द्वारा सीमांकन पंचनामा पर हस्ताक्षर किये जाने से इंकार किया गया । इससे स्पष्ट है कि सीमांकन की जानकारी आवेदक को थी। अतः तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होकर विधिवत् पाया गया है। जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर